

प्रेषण

श्री अर्णोद यातुली,
तिथि वर्त तथा
उत्तर प्रदेश ग्रन्थालय ।

लेखा द.

महिमा
इन्द्रिय मात्रप्रिय शिष्टां परिज्ञ,
प्रिया देवी न बहुत देवी
द्वितीय विद्वार नहीं दिली ।

मित्र 171 अनुभाग

तिथि: दिनांक: 30 जुलाई 1999

विवरण:- नीतीष पञ्चिक राज इतिहास भारताद्वारा द्वीपोधीरसांके नहीं दिली है तथा इतिहास द्वेष अन्यपिरात् उभार्ये एवं दिव्य बना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कुछ वह कहने का निर्देश द्वारा है कि नीतीष पञ्चिक राज इतिहास भारताद्वारा द्वीपोधीरसांके नहीं दिली है तथा इतिहास द्वेष अन्यपिरात् उभार्ये एवं दिव्य बना । विषयालय की पर्याप्तता की वज्रांचारी विभाग ने इति-नीतीष पञ्चिक राज इतिहास द्वारा बनाया है :-

- 111 विषयालय की पर्याप्तता तोतापटी एवं तम्भ तम्भ वह सबीनीकरण करता बाधेगा ।
- 121 विषयालय की प्रबन्ध नामित है मित्र निर्देश द्वारा नामित एवं तदृश्य होगा ।
- 131 विषयालय में कम हो जाने पर उत्तिहास इतिहास अनुदृष्टि वाति/अनुदृष्टि जनवासि के बध्यर्ही के लिए हुरचित रहेंगे और उनके उपर प्रदेश मात्रप्रिय शिष्टां परिज्ञ द्वारा तंत्रजित विषयालयर्ही में विभिन्न व्यापारी के लिए निर्धारित शुल्क ते उत्तिहास शुल्क नहीं निरा बाधेगा ।
- 141 हैत्या द्वारा इत्य तदवार ते किसी उन्नानी की माँग नहीं ही जाधेगी और यही दूर्वा में विषयालय मात्रप्रिय शिष्टां परिज्ञ ते उपर उत्तिहास के लिए विषयालय के वास्तवान प्राप्त होता है तथा विषयालय की तम्भता देखींको इत्यानिषेध, नहीं दिली है प्राप्त होती है तो उत्तिहास विषयालयर्ही ते तम्भता प्राप्त होने की विधि है परिषद ते मान्यता तथा राज्य तदवार ते उन्नानी तथा तम्भता ही जाधेगी ।
- 151 हैत्या उत्तिहास एवं विषयालय तम्भारियर्ही को राज्यीय तदापाना प्राप्त विधि हैत्यार्ही के कम्भारियर्ही को उन्नान्य वेतनमानर्ही तथा उन्न्य भरती ते कम वेतनमान तथा उन्न्य भरती नहीं दिये जाधेगे ।
- 161 कम्भारियर्ही जी लेखा वर्ती बतायी जाधेगी और उन्हें वेतनमान प्राप्त होता है उत्तिहास तम्भारियर्ही के कम्भारियर्ही की उन्नान्य लेखा निर्दित एवं लाभ उपलब्ध छाते जाधेगे ।

- 171 राज्य सरकार द्वारा तथा तम पर जो भी आदेश निर्णय दिए जाएंगे
तेस्वा उपका पालन होंगे ।
- 181 विद्युत्याप का रिकॉर्ड निर्धारित प्रधान/affidatoo में रहा जायेगा ।
- 191 उसके बाहर में राज्य सरकार के पूर्वानुभोदन के बिना और परियोग/
लैटीचर्च वा परियोग नहीं दिया जायेगा ।
- 2- प्रतिवर्ष वह भी होगा जो हेत्या द्वारा वह तुनियित दिया जाय कि :-
- 111 विद्युत्याप द्वारा जिसी मुख्य/भवन की व्यवस्था की जाय तब वर्तमान
में विद्युत्याप वाला ऐसीकूप भराया जाय ।
- 121 विद्युत्याप में कार्रवाइ अपारा/अपाराविदार्थी तथा कर्मान्वर्ती का
देखभाल के माध्यम से वितरित जाता जाय ।
- 131 विद्युत्याप में विद्युत्याप प्रयोगकारी तथा प्रयोगकारी की जाय ।
- 3- उसका प्रतिवर्षी का पालन करना तेज्ज्वला के लिए अनियोग्य होगा और यदि
कोई तम पर वापार जाता है तो हेत्या द्वारा उसके प्रतिवर्षी का पालन नहीं
करा जा सकता है उसका पालन करने में किसी दुकार की पूछ पा ग्रिफिन्स बर्ली वा
र्सी हो तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्रह्मण्ड प्रमाण पर धारण ते दिया जायेगा
महाराष्ट्र,

उपरोक्त गणिती ।
नमूलता तथा विवेच ।

पुस्तक 3134111/15-7-1999 द्वितीय

प्रतिवर्षीय नियमिति को सूचनावर्ती एवं आधारक ग्रन्थालयी द्वारा दिया गया :-

- 1- दिया निर्देश, उत्तर प्रदेश, नवज़ङ्ग ।
- 2- मानवीय तंत्रज्ञ दिया निर्देश, मुख्यालय ।
- 3- जिता विद्युत्याप नियोग्यक, मुख्यालय ।
- 4- नियोग्यक, जाँच भारतीय विद्युत्याप 3050 नवज़ङ्ग ।
- ✓- प्रश्नपत्र, नोक्ती पर्याप्त रूप से द्वारा भराया गया विवरण ।

अतः न.

Dinesh
उपरोक्त गणिती ।
नमूलता तथा विवेच ।